—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 249/2024

उनवान

सूरता बनाम अमरी वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—: आदेश :— दिनांक :— 20.1.25

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 131/2017 उनवानी अमरी बनाम सुरता माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 1.10.24 को प्राथमिक डिक्री पारित की जा चुकी है। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना विचाराधीन है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ऐस्टोपल व रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्तों से बाधित होकर विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आने से काबिल निरस्त योग्य है। आराजी मुतनाजा बाबत माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन के आदेश पारित किये है। जिसमें पक्षकार भी समान हैं। आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादीगण बराबर हिस्से के खातेदार है। वादग्रस्त आराजी का पूर्व इन्द्राज हाल इन्द्राज अनुसार ही है। अतः वाद खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पूर्व वाद विभाजन का है। वर्तमान वाद में वादी द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती चाही गयी है। अतः आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। वादीगण द्वारा उक्त वाद खातेदारी उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती बाबत विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। प्रश्नगत वाद के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हाजा न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 प्रकरण संख्या 131/2017 बउनवान अमरी बनाम सुरता पेश किया जिस पर प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है तथा उक्त वाद हाजा न्यायायलय में विचाराधीन है। पूर्व वाद व प्रश्नगत वाद की विषय वस्तु भिन्न—भिन्न है किन्तु पूर्व वाद व प्रश्नगत वाद में पक्षकार व आराजी मुतनाजा समान ही है। पूर्व वाद में प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी थी, प्रश्नगत वाद के [illegible] व [illegible] के प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब [illegible] नही करने पर जवाब बंद किया गया व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। [illegible] [illegible] 17 को दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादीगण को आराजी मुतनाजा के हाल इन्द्राज की जानकारी पूर्व में ही थी, जबकि उनके द्वारा प्रश्नगत वाद में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी दिनांक 10.10.24 को होना बताते हुये वाद कारण अंकित किया है। वादीगण पूर्व वाद में ही प्रतिदावा पेश कर सकते थे। हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व वाद में दिनांक 01.10.24 को निर्णय पारित करने के बाद उनके द्वारा मिथ्या वाद कारण दर्शित करते हुये वाद पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद कारण अंकित करना ही पर्याप्त नही है, वरन वाद कारण उत्पन्न होना दर्शित भी होना चाहिये। आराजी मुतनाजा बाबत विभाजन की प्राथमक डिक्री वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारित की जा चुकी है। उसी आराजी पर पुनः समान पक्षकार के मध्य इन्द्राज दुरूस्ती का वाद समान न्यायालय द्वारा सुनवाई करना न्यायोचित नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से भी बाधित है। वाद कारण मिथ्या होना व पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान प्रकरण में लागू होते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ऐस्टोपल व रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्तों से बाधित होकर विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आने से काबिल निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारयुक्त हाने से **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested